

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत
अभिलेख संख्या-180/2023-24

—: आदेश :—

सूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
21/12/2023	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) युधिष्ठिर रजवार पिता-ओपीन रजवार, जाति-रजवार, ग्राम-केन्दुलिया, थाना-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो के द्वारा चन्दनकियारी अंचल अन्तर्गत मौजा-केन्दुलिया के थाना नं0-215, खाता सं0 पुराना-17 (नया)-09, प्लॉट नं0 पुरान-35 (नया)-27, रकवा-9 डी0 भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 670/भू0सु0, दिनांक 14.11.2023 के द्वारा अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी के पत्रांक 1819 दिनांक 13.12.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :- 1. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान गिरीश रजवार के नाम से दर्ज है। 2. (क)विक्रेता ग्राम-केन्दुलिया, थाना-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो, झारखण्ड के मूल निवासी हैं। (ख)क्रेता ग्राम- केन्दुलिया, थाना-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो, झारखण्ड के मूल निवासी हैं। 3. विक्रेता जाति के एवं क्रेता जाति के रजवार हैं, जो अनुसूचित जाति के श्रेणी में आते हैं। 4. भूमि बिक्री के उपरांत विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 5. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को खतियान के द्वारा प्राप्त है। 6. बिक्री की जाने वाली भूमि का जमाबंदी ऑनलाईन भाग-1, पृष्ठ सं0-9 में कायम है। लगान रसीद 2023-24 तक निर्गत है। 7. विक्रेता का वंशावली (स्वहस्ताक्षरीत) अभिलेख के साथ संलग्न है। 8. बिक्री की जाने वाली भूमि पर विक्रेता का शान्तिपूर्वक दखल कब्जा है। 9. बिक्री की जाने वाली भूमि का किस्म कानाली है। 10. अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी द्वारा मौजा-केन्दुलिया के थाना नं0-215, खाता सं0 पुराना-17 (नया)-09, प्लॉट नं0 पुरान-35 (नया)-27, रकवा-9 डी0 भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	विक्रेता का जाति एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०- JHRC/2023/309002 दिनांक 21.09.2023 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०- JHRC/2021/213645 दिनांक 06.09.2021 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत आवेदक (विक्रेता) युधिष्ठिर रजवार पिता-ओपीन रजवार, जाति-रजवार, ग्राम-केन्दुलिया, थाना-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो के द्वारा चन्दनकियारी अंचल अन्तर्गत मौजा-केन्दुलिया के थाना नं०-215, खाता सं० पुराना-17 (नया)-09, प्लॉट नं० पुराना-35 (नया)-27, रकबा-9 डी० भूमि (क्रेता) गंगाधर रजवार पिता-कंग्रेस रजवार, जाति-रजवार, ग्राम-केन्दुलिया, थाना-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास। भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।	22-12-23